<u>न्यायालय :— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क्रमांक :— 33 / 2017)

(संस्थित दिनांक :- 27 / 01 / 2017)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— मौ जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

// विरूद्ध //

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 04/08/2017 को घोषित)

- 01. अभियुक्त सरकार सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 323, 324 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :— 09/01/2017 को शाम लगभग 07:00 बजे नया बस स्टेण्ड़ के पास मौ में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी ध्रुव सिंह को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी ध्रुव सिंह की धारदार आयुध चाकू एवं लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी ध्रुव सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 09/01/2017 को शाम लगभग 07:00 बजे नया बस स्टेण्ड़ के पास मौ में, आरोपी द्वारा फरियादी ध्रुव से गाली—गलौच करने, उसकी धारदार आयुध चाकू एवं डण्डा से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी ध्रुव सिंह द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपी सरकार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 07/2017 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी ध्रुव सिंह की मेडीकल रिपोर्ट में धारदार आयुध से चोट पहुँचाने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरूद्ध धारा 324 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी सरकार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी ध्रुव सिंह, जितेन्द्र व्यास, भूप सिंह एवं साक्षी राकेश शर्मा के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्त सरकार के विरूद्ध धारा 294, 323, 324 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द. सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-
- 01. क्या आरोपी सरकार ने दिनांक : 09/01/2017 को शाम लगभग 07:00 बजे नया बस स्टेण्ड़ के पास मौ में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी ध्रुव सिंह की धारदार आयुध चाकू से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

- 06. फरियादी ध्रुव सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी सरकार सिंह यादव को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 24/07/2017 से लगभग छ:—सात माह पहले की होकर शाम 07 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसका आरोपी सरकार सिंह यादव से गाय हांकने के उपर विवाद हो गया था, जिस पर आरोपी ने उसकी लात—घूसों से मारपीट कर दी थी, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी ध्रुव सिंह अ.सा.01 ने आरोपी सरकार द्वारा दिनांक :— 09/01/2017 को शाम लगभग 07:00 बजे नया बस स्टेण्ड़ के पास मौ में, धारदार आयुध चाकू से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहित कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी ध्रुव सिंह अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।
- 07. आरोपी एवं फरियादी ध्रुव सिंह के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी ध्रुव सिंह अ.सा.01 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी सरकार ने दिनांक :— 09/01/2017 को शाम लगभग 07:00 बजे नया बस स्टेण्ड़ के पास मौ में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी ध्रुव सिंह की धारदार आयुध चाकू से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

09. अभियोजन आरोपी सरकार के विरूद्ध धारा 324 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को धारा 324 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

10. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद